

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

राधपत्र

वलेम

मुकाम

बिन्दर

रमजानी कांठ

बनाम

उमर उराज वरि

किसम मुकदमा

53 रा. अ. नं.

77

स. 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म को लागू में जारी हुए
21.6.18	पाद वादीगण की ओर से वकील श्री विश्वप्रकाश शर्मा ने पेश किया, रिपोर्ट सख्त का प्रवर्तन किया, वाद रफ रजिस्टर किया पाठक प्रविदादी की लखी है, सम्पत्ती की प्रवर्तनी नं. 17/6/18 को केम्प नोटाडा में पेश हो।	
27.6.18 वारी 27/6/18 अहकाम अहकाम	पत्रावली लोक अदालत केम्प नोटाडा में पेश हुई। उअमपक्षा उप। वकील वादीगण भी उप। उअमपक्षा को मजमे काम में सुना गया। प्रत्येक सम्बन्ध में वैधित्व वैधित्व किया गया। वादीगण ने वाद धारा 53 फारदीस्तर में पेश कर अर्थ कि उअमपक्षा के मध्य पूर्व में बंधारा हो चुका है तथा नोट पर उसी अनुसार आखिर करत है इत. राजस रिपोर्ट में भी वादपत्र अनुसार विभाजन हुआ पावे। प्रविदादीगण के भी वादपत्र अनुसार वाद रिपोर्टी रिपोर्टी जाने की सटमति प्रकर भी तथा अहकाम स्वरूप मोर्देशिका	प्रविदादीगण रिपोर्टीगण अहकाम नोटाडा रूपी अहकाम

तारीख
हकूम

हकूम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पर इन्तखार किये। अतः उक्तपक्ष की बर्खास्त
के आचार पर प्रकरण में फॉर्मिडिब्री जारी
हो। प्रजाजली फ़ैल्ल शुफार डोकट डाखिल
दफ्तर हो। निम्न मजमे काम में सुनाया
गया।

अज अदालत न

डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प नोताडा मालियान

उनवान

1. रमजानी पुत्र जरदार मोहम्मद जाति मुसलमान
2. शमशुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा

बनाम

1. उमरदराज पुत्र फतेह मोहम्मद मृतक जरिये कायम मुकामान—
 - 1/1. रफीक मोहम्मद पुत्र उमरदराज
 - 1/2. अखलाख मोहम्मद पुत्र उमरदराज
 - 1/3. शहजाद पुत्र उमरदराज
 - 1/4. खेरुनिशा पुत्र उमरदराज
 - 1/5. नसीम बानो पुत्री उमरदराज
 - 1/6. सरदारी बाई पुत्री उमरदराज
 - 1/7. पीरी बाई बेवा उमरदराज जाति मुसलमान निवासीगण नोताडा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर— 77/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " ग्राम नीमली तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 182 रकबा 0.21 हे0, ख0नं0 217 रकबा 8.74 हे0, ख0नं0 332 रकबा 1.88 हे0, ख0नं0 343 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 344 रकबा 1.58 हे0, ख0नं0 345 रकबा 1.48 हे0, ख0नं0 346 रकबा 0.40 हे0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में उभयपक्ष की सहमति अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है—

क्र0सं0	नाम खातेदार	ग्राम भूमि	ख0नं0	रकबा
1.	रमजानी पुत्र जरदार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नोताडा	नीमली	217/2 182/2 344	3.06 हे0 0.11 हे0 1.58 हे0


			343	0.30 हे०
			कुल-4	रकबा-5.05 हे०
2.	शमशुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी नोताडा	नीमली	217 / 3	2.62 हे०
			332	1.88 हे०
			कुल-2	रकबा-4.50 हे०
3.	रफीक मोहम्मद, अखलाख, शहजाद, खेरुनिशा पुत्रान उमरदराज, नसीम बानो, सरदारी बाई पुत्रीयां उमरदराज, पीरी बाई बेवा उमरदराज	नीमली	345	1.48 हे०
			346	0.40 हे०
			217 / 1	3.06 हे०
			182 / 1	0.10 हे०
			कुल-4	रकबा-5.04 हे०

तहसीलदार उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत०	0	0	मुत०	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद